

## न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

**01.09.2021-**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाट ने मु.अ.सं.358/2013 अंतर्गत धारा 392 भा.द.सं. जेरे हिरासत से स्वेच्छा से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त पर आरोपपत्र के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 16.10.2013 को 15.30 बजे मोटरसाइकिल UP-11AA-6728 हीरो होण्डा स्पेलैण्डर और मोबाइल तथा 3300 रुपये सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिलकर वादी मुकदमा से लूट लिये। अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया और यह कथन किया कि उसने यह जुर्म स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व भय के स्वीकार किया है। अभियुक्त को दाण्डिक विधि के अधीन विधिक चेतावनी दी गयी कि उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल के आधार पर उसे कारावास के दण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया और यह कथन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है। उसे कम से कम दण्ड दिया जाये। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोनू द्वारा किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 392 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिये पत्रावली कुछ समय पश्चात पुनःपेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

**लंच पश्चात-** पत्रावली पुनः पेश हुई। सजा के बिन्दु पर गौरव को सुना। सजा के बिन्दु पर अभियुक्त द्वारा यह कथन किया की वह बहुत गरीब व्यक्ति है। उसके घर में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। वह अभी जवान है। उसके सामने उसका पूरा भविष्य है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल किया है इसलिये उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का मुकदमा विचाराधीन रहते हुए काफी समय हो चुका है। अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित आकर जुर्म स्वीकार किया गया है। वह काफी समय से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा बतायी गयी आर्थिक व शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों में निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति होगी।

### **आदेश**

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाट को मु.अ.सं.358/2013 अंतर्गत धारा 392 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्धि के आधार पर उसे तीन साल कठिन कारावास एवं अंकन दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त बीस दिन का साधारण कारावास भोगेगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

## न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

**01.09.2021-**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाट ने मु.अ.सं.336/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. जेरे हिरासत से स्वेच्छा से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त पर आरोपपत्र के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 18.11.2013 को 16.30 बजे मोटरसाइकिल UP-14BU-2816 सी०डी० डीलक्स सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिलकर वादी मुकदमा से लूट ली गई। अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया और यह कथन किया कि उसने यह जुर्म स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व भय के स्वीकार किया है। अभियुक्त को दण्डिक विधि के अधीन विधिक चेतावनी दी गयी कि उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल के आधार पर उसे कारावास के दण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया और यह कथन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है। उसे कम से कम दण्ड दिया जाये। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोनू द्वारा किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिय पत्रावली कुछ समय पश्चात पुनःपेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

**लंच पश्चात-** पत्रावली पुनः पेश हुई। सजा के बिन्दु पर गौरव को सुना। सजा के बिन्दु पर अभियुक्त द्वारा यह कथन किया की वह बहुत गरीब व्यक्ति है। उसके घर में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। वह अभी जवान है। उसके सामने उसका पूरा भविष्य है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल किया है इसलिये उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का मुकदमा विचाराधीन रहते हुए काफी समय हो चुका है। अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित आकर जुर्म स्वीकार किया गया है। वह काफी समय से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा बतायी गयी आर्थिक व शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों में निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति होगी।

### **आदेश**

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाटको मु.अ.सं. 336/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्धि के आधार पर उसे तीन साल कठिन कारावास एवं अंकन दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त बीस दिन का साधारण कारावास भोगेगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

## न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

02.09.2021-

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाट ने मु.अ.सं.366/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. जेरे हिरासत से स्वेच्छा से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त पर आरोपपत्र के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 18.10.2013 को सांय 7.00 बजे बहद स्थान आप अभियुक्त ने वादी की मोटरसाइकिल UP-125-0590 अपाचे (टी०वी०एस०) चोरी की गई। अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया और यह कथन किया कि उसने यह जुर्म स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व भय के स्वीकार किया है। अभियुक्त को दण्डिक विधि के अधीन विधिक चेतावनी दी गयी कि उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल के आधार पर उसे कारावास के दण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया और यह कथन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है। उसे कम से कम दण्ड दिया जाये। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोनू द्वारा किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिय पत्रावली कुछ समय पश्चात पुनःपेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

**लंच पश्चात-** पत्रावली पुनः पेश हुई। सजा के बिन्दु पर दीपक कुमार को सुना। सजा के बिन्दु पर अभियुक्त द्वारा यह कथन किया की वह बहुत गरीब व्यक्ति है। उसके घर में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। वह अभी जवान है। उसके सामने उसका पूरा भविष्य है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल किया है इसलिये उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का मुकदमा विचाराधीन रहते हुए काफी समय हो चुका है। अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित आकर जुर्म स्वीकार किया गया है। वह काफी समय से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा बतायी गयी आर्थिक व शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों में निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति होगी।

### आदेश

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र उर्फ सत्यवीर जाट को मु.अ.सं. 366/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत दोष सिद्धि के आधार पर उसे तीन साल कठिन कारावास एवं अंकन दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त बीस दिन का साधारण कारावास भोगेगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।